


**अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय**

अनुसूचि 14 फारम सं० 563

मिस केस नं० 05/17

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर धारा 107 द० प्र० सं०	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में दिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
<p>06.01.17</p>	<p>श्री. प्रकाश सिन्हा बनाम श्रीमती सिन्हा रुक्मिणी थाना प्रभारी का. पतयपुर ने अप्राथमिक सं० 04/16 के द्वारा सूचित किया है कि फरवरी 23 को शांति भंग की सम्भावना है अतः उन्होंने दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त कारण से दोनों पक्षों से शांति भंग की सम्भावना है अतः धारा 107 द० प्र० सं० की कार्यवाही दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रारम्भ की जाती है। सुचना निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग करें कि एक साल तक शांति बनाये रखने हेतु प्रत्येक से तीन-तीन हजार रुपये का बंध पत्र दो प्रतिभु के साथ प्रत्येक उसी राशि का दाखिल करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख दिनांक 30/01/17 को उपस्थापित करें।</p> <p align="center">लेखापति 06/01/17 अनुमण्डल पदाधिकारी सरायकेला</p> <p>श्री. प्रकाश सिन्हा बनाम श्रीमती सिन्हा रुक्मिणी का. पतयपुर के व्यक्त श्री. प्रकाश सिन्हा को रखें श्री. प्रकाश सिन्हा बनाम श्रीमती सिन्हा रुक्मिणी का. पतयपुर का. पतयपुर 7.03.17 को उपस्थापित करें</p>	<p>प्रथम पत्र</p> <p>द्वितीय पत्र</p> <p>30/01/17 20.02/17 7.03/17 5.04.17 27-4-17 19/5/17 5/6/17 23.06.17 17.07.17 7.08.17 23.8.17 13.09.17 9.10.17 30.10.17 S.R. Feedind 17.11.17 5.12.17 22.12.17 15-1-18 02.02.18 20.02.18 13.03.18</p>

अनुसूची : 14 फारम सं० : 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित 3
13.08.18	<p>कार्यालय उपस्थापित किया गया।  उक्त पर अनुपस्थित। नाम <del>...</del>  नरिस का कार्यालय <del>...</del> होने के  समय पर उक्त पर <del>...</del> का  कोई परकी नहीं की गयी नहीं  उपस्थित हुए। तबका <del>...</del> को  की को <del>...</del> चना अज्ञान  अतः बाद की कारवाई <del>...</del>  की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">   13/08/18 </p>	